भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1627
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अंबिकापुर हवाई अड्डे से उड़ानें

1627. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मई 2023 में अंबिकापुर हवाई अड्डे के उन्नयन और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वहां से दिल्ली, वाराणसी और रायपुर के लिए उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी कंपनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली, वाराणसी और रायपुर के लिए उड़ानें कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अंबिकापुर हवाईअड्डे की पहचान विकास और प्रचालन के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान की गई थी। अंबिकापुर-रायपुर-अंबिकापुर मार्ग को 19 सीटों वाले विमान के साथ परिचालन के लिए फ्लाईबिग को अवार्ड किया गया है। चयनित प्रचालक द्वारा इच्छित विमान उपलब्ध होने पर परिचालन शुरू किया जाना है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन को विनियमन-मुक्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, एयरलाइनें क्षमता बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल कर सकती हैं और सेवा प्रदान करने और प्रचालन के लिए किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन कर सकती हैं। इसलिए, यह एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वह अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी शहर से/के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर विचार करे।

*****